

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

8

प्रकरण क्रमांक / 2018 / पी.बी.आर. / निगरानी

निगरानी-3181/2018/ग्वालियर/भू.रा.

श्रीमती प्रीति गोयल पत्नी श्री यश कुमार गोयल,
निवासी-दाल बाजार, लशकर, ग्वालियर

—निगरानीकर्ता

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी
झांसी रोड, ग्वालियर

—प्रतिप्रार्थी

श्री राजेश शर्मा कर्मिण
द्वारा आज 24-5-18
प्रस्तुत। प्रारम्भिक तर्क हेतु
दिनांक 6-6-18 नियत।

कलक ऑफ कोर्ट 24-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर



निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता विरुद्ध
आदेश अनुविभागीय अधिकारी, झांसी रोड, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक
75/2017-18/बी-121 पारित आदेश दिनांक 17-4-2018

श्रीमान

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निग./3181/2018/ग्वालियर/भू.रा.

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-02-19	<p>आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री अजय शर्मा तथा अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 8-4-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p> सं३३</p>	<p> अध्यक्ष</p>